219
17/1/12

NOTARIAL NOTARIAL

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

..........25, हरिद्वार ग्रामीण..........(निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

.....उत्तराखण्ड विधानसभा.....(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिर्टनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ–पत्र

मैं, ..........तृषा शर्मा..........पुत्र/पुत्री/पत्नी योगेन्द्र शर्मा ..........आयु.....35.....वर्ष, ..........जो ग्राम व पो० ... जिला हरिद्वार का/की निवासी हू और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:–

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।
   (यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):–
   (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....लागू नहीं.....
   (ii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं.....जिला (जिले) लागू नहीं.....राज्य ...लागू नहीं
   (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है.....लागू नहीं.....
   (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.....लागू नहीं
   (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गये थे.....लागू नहीं.....
   (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं.....लागू नहीं.....

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

RISHI PAL SINGH
ADVOCATE, NOTARY
उत्तराखण्ड सरकार

तृषा शर्मा

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :–

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.......लागू नहीं.......

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है.......लागू नहीं.......

(iii) पुलिस थाना (थाने).......लागू नहीं.......जिला (जिले) लागू नहीं
.......राज्य.......लागू नहीं.......
....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.......लागू नहीं.......
.......

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.......लागू नहीं.......

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.......
.......लागू नहीं.......

स्थान रोशनाबाद हरिद्वार
तारीख 12/1/2012

लता शर्मा

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

## सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथ–पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

रोशनाबाद, हरिद्वार.....स्थान पर आज तारीख....12-01/2012.....को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

लता शर्मा

टिप्पणी :– इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।

ATTESTED
RISHI PAL SINGH
ADVOCATE, NOTARY

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

12AA 905610

218
12/1/12

लता शर्मा

लता शर्मा